**बिहार सरकार**
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक– प्र010 / वि0गु0नि0–21 / 2015 खाद्य, पटना / दिनांक–

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

श्री जगदीश चन्द्र,
क्षेत्रीय सहायक निदेशक (S&R)
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
गुण नियत्रण प्रकोष्ठ, कलकता 700020 ।

विषय :– राज्य सरकार / बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना द्वारा अधिप्राप्ति हेतु प्रयोग में लाये जानेवाले सी0एम0आर0 गोदामों तथा चावल मिलों का निरीक्षण किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्र संख्या– QCT/Cal-29/2017-18 दिनांक– 09 जनवरी, 2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना द्वारा संचालित अधिप्राप्ति एवं सी0एम0आर0 गोदामों का निरीक्षण क्रमशः पटना, गया, सासाराम (रोहतास), हाजीपुर(वैशाली) एवं समस्तीपुर जिलों में दिनांक– 15.01.2018 से 27.01.2018 तक किये जाने हेतु विभाग को सूचित किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या– 3(4)/2013-Py.I दिनांक– 08.12.2015 द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत KMS 2015-16 तथा उसके पश्चात् अधिप्राप्ति तथा CMR राज्य अन्तर्गत लिये जाने हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच MOU हस्ताक्षरित है जिसकी कंडिका–4 में भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों की संयुक्त जाँच दल द्वारा निरीक्षण / पर्यवेक्षण का कार्य किया जाना है जो निम्नवत है :– "State Government/Agencies will provide details of paddy stored in miller's premises (miller-wise), if any, on weekly basis which will be verified jointly on test check basis by State Government, and FCI/GOI as per need. The State Government will make joint teams with the FCI to oversee the conduct of procurement operations and to attend to specific complaints, problems, etc. .....
.....In addition, the Nodal Agency will facilitate periodical inspections planned by joint team of State Government and FCI Officials of the concerned Region to assess the effectiveness of procurement operations, Quality Control Measures, milling arrangements, process of stock verification, etc. so that the Government of India could closely monitor the implementation of the DCP Scheme in the State."

उपर्युक्त के आलोक में भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय से संयुक्त टीम गठित करने हेतु पदाधिकारियों की मांग की गयी है साथ ही भारतीय खाद्य निगम से 10 गुणवत्ता नियंत्रक की भी मांग की गयी है जिसके आलोक में अद्यतन 10 गुणवत्ता नियंत्रक की सेवा उपलब्ध करायी गयी है ।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित MOU की कंडिका–4 में प्रावधानित उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में संयुक्त जाँच दल गठन करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र010 / वि0गु0नि0–21 / 2015 खाद्य, पटना / दिनांक–

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, अरूणाचल भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र010 / वि0गु0नि0–21 / 2015 215 खाद्य, पटना / दिनांक– 12-01-18

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । 12/1/XVIII

सरकार के अपर सचिव।

D:\backup\Year_2018(Sec_10)\2018 (M)\vividh.doc